

फर्द अहकाम

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी मावली, उदयपुर

..... रामलाल विपक्षी चन्दरी वाई
 म मुकद्दमा १९६ पत्रावली संख्या ... 196/22 ... सन्

कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
-----------------	---

05/07/24

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी उप.।
 ज.स. 3 के सम्मन व.सि. एडी से वाद जारी।
 ज.स. 10 को निरन्तर
 आवाजे हिलवाई गई। अनु. है। अतः अनुपस्थित
 रहने पर इनके विरुद्ध एकपक्षी कार्यवाही के
 आदेश पारित किये जाते हैं। पत्रावली वाले
 साक्षक वादी दिनांक 23/8/24 को पेश हों।

23/8/24
 कुलाय वादी/प्रतिवादी उप. 21/8/24 वार।
 के लिये मौका चाहते हैं। अतः एव
 अवसर दिया जाकर पत्रावली दि. 05/10/24
 को पेश हो।
 (SDO) मावली

4/10/24
 अधिवक्ता वादी/अपीलाण्ट/
 प्रतिवादी/विपक्षी/रेसपो उपस्थित/पीठासीन
 अधिकारी महो. आज अवकाश/भ्रमण/निर्दिष्ट
 प्री प्रीकारे है। पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में
 दि. 20/11/24 को पेश हो

20/12/24 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी मय वादी
 अनुपस्थित। अधिवक्ता वादी मय वादी को निरन्तर आवाजे
 दिलवाई गई। समय शाम 5:00 PM हो चुके हैं। अधिवक्ता
 वादी मय स्वयं वादी अथ लक अनुपस्थित हैं। अतः अधिवक्ता
 वादी मय वादी अनुपस्थित रहने पर वादी का वाद अदम्य हाजरी
 अदम्य पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार
 होकर नखर से कम हो।
 न्यायालय सुनाया गया।



सहायक जिला न्यायाधीश
 (SDO) मावली

